"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 22, शक 1924

भाग 4

विषय-सूची

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)—कुछ नहीं

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-200.

1.

कार्यालय, नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़

क्रमांक जी. बी. 4/(2)/डा. कलै. का मु./2003 दिनांक 14 दिसम्बर, 2002

विज्ञप्ति

वर्ष 2003 के लिये छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं एवं सामान्य विक्रय हेतु सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है :—

क्रमांक	सामग्री	मूल्य प्रति नग
1.	सुपीरियर वाल कैलेण्डर (चित्रवाला)	35.00
2.	साधारण वाल कैलेण्डर (चित्रवाला)	32.00
3.	वाल कैलेण्डर (बिना चित्रवाला)	18.00
4.	शीट कैलेण्डर	2.00
5.	सुपीरियर डायरी	50.00
6.	साधारण डायरी	40.00
7.	स्क्रिब्लिंग पैड	20.00
8.	स्क्रिब्लिंग पैड की रिफिल	8.00

2. **कैलेण्डर :**

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2003 का सुपीरियर कैलेण्डर एवं साधारण वाल कैलेण्डर तथा बिना चित्रवाला कैलेण्डर मांग अनुसार सभी को कार्यालय उपयोग हेतु प्रदाय किये जा सकेंगे.

3. **डायरी :**

(1) सुपीरियर डायरी.—उत्तम कागज पर सीमित मात्रा में मुद्रित एवं आकर्षित लेदर कव्हर वाली ये डायरियां वरिष्ठ अधिकारियों के सामान्य विक्रय के लिये उपलब्ध रहेगी. सुनिश्चित प्राप्ति के लिये मांग-पत्र शीघ्र दें.

(2) साधारण डायरी.—उत्तम कागज पर (पी. व्ही. सी. कव्हर वाली) ये डायरियां सभी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ-साथ सामान्य विक्रय के लिये उपलब्ध रहेंगी.

4. **स्क्रिब्लिंग पैड :**

अधिकारियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है.

5. **वितरण :**

छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के सभी कार्यालयों को उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव से प्रदाय किया जावेगा.

6. **सामग्री का प्रदाय :**

सामग्री का प्रदाय नगद भुगतान पर या मद क्रमांक- ''0058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण 101 राजपत्रों आदि की बिक्री (2)'' में कीमत की राशि शासकीय कोषालयों में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकेगा.

7. छत्तीसगढ़ के सभी कार्यालय माह दिसम्बर, 2002 के तृतीय सप्ताह में किसी भी कार्यालय दिवस में राजनांदगांव से वांछित सामग्री प्राप्त कर सकेंगे.

कृपया सुनिश्चित प्राप्ति के लिये राशि जमा कराकर राजनांदगांव से अपनी उपयोग की सामग्री शीघ्र प्राप्त करें.

सही/-
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

क्रमांक पृ. क्र. जी. बी. 4/(2)/डा. कलै. का मु./2003 दिनांक 14 दिसम्बर, 2002

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़.
2. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.
3. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर.
4. सचिव, लोक आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
5. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर.
6. आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
9. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तीसगढ़.
10. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

GRPRJ—480—12/2002—1500.